

NEW WATER / SEWAGE CONNECTION (For Individual)

Applicant Details (in Case of Connection Applied by Individual)

Applicant photo

Aadhar number _____

Firstname (Mr. /Mrs. /Ms.) _____

Middle name _____

Last name _____

Gender Male Female Other

Father/Husband/Wife Name _____

Date of birth _____

Mobile number _____ E-mail _____

Building Details

Is Applicant Owner or Tenant? Owner Tenant

Property ID (if available) _____

Name of owner of building (in case of tenant) _____

Name of building _____

City - Nava Raipur Atal Nagar Sector _____

House/Plot Number _____ Floor _____ PIN Code _____

Correspondence address

City _____ Sector _____

House/Plot Number _____ Floor _____ PIN Code _____

Connection Details

Application type Water and sewerage connection Water connection Sewerage connection

(a) Is Connection for Construction: Yes No

If Yes, Then Connection Duration (In Months): _____

Details of usage (Quantity of water requirement per day in liters) _____

Dia of water connection applied for – 15mm/20mm/25mm/32mm/40mm/50mm/ _____

(b) Regular water connection:-

Connection type: Domestic/Residential cum Commercial/Commercial/Industrial and Institutional (Govt./Non-Govt.)

Details of usage (Quantity of water requirement per day in liters) _____

Number of persons _____

Dia of water connection applied for – 15mm/20mm/25mm/32mm/40mm/50mm/ _____

(c) Sewerage Connection

Sewerage connection diameter _____ Required Connection size (mm) _____

I have gone through the conditions for water connection as in Annexure –A ,B and agree to the same

Signature of applicant

Name:

Checklist for supporting documents

S.no.	Document type	Yes / No
1	Company/Society/Trust Registration Proof	
2	Company/Society/Trust PAN Card	
3	Company/Society/Trust GSTIN Number	
4	Receipt Lease Rent	
5(a)	Property Ownership Proof	
5(b)	Copy of Rent Agreement – in case of tenant	
6(a)	Building completion certificate (for Regular water supply)	
6(b)	Building permission certificate (for Construction water supply)	

Internal office use

Office copy

Application Number _____ Date of receiving _____

Assigned to _____

Consumer copy

Application Number _____ Date of receiving _____

घोषणा पत्र

1. आवेदक पानी के उपयोग के लिए निर्धारित दरों के साथ जल राजस्व सीवरेज प्रभार की राशि एवं सभी प्रकार के प्रभार अधिभार का नियमों के अनुसार हर माह नियत तारीख को भुगतान करने को सहमत है ! भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटने का अधिकार एन.आर.ए.एन.वी.पी. को होगा।
2. मीटर की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता जिम्मेदार होगा। मीटर के चोरी चले जाने/खो जाने की स्थिति में स्वयं के खर्चे पर उपभोक्ता को नया मीटर लाकर एन.आर.ए.एन.वी.पी. में जमा कराना होगा। मीटर क्षतिग्रस्त होने पर आवेदक से क्षतिपूर्ति राशि वसूली जायेगी।
3. मीटर मैला/किसी प्रकार की लीकेज होने पर या मीटर में खराबी होने की स्थिति में उसकी सूचना एन.आर.ए.एन.वी.पी. को देने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
4. आवेदक द्वारा समर्पित नया मीटर भविष्य में सरकारी मीटर माना जावेगा। आवेदक को प्रतिमाह मीटर किराया देना होगा।
5. आवेदक के जल संबंध पर किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में उसके कनेक्शन को एन.आर.ए.एन.वी.पी. को बिना किसी पूर्व सूचना के काटने का अधिकार होगा।
6. जिन बस्तियों में सरकार द्वारा जल प्रदाय विकास शुल्क पूर्व में नहीं लिया गया है, वहां विभाग द्वारा जल प्रदाय विकास शुल्क मांगे जाने पर आवेदक को जमा कराना होगा, अन्यथा उसका जल संबंध विच्छेद कर दिया जायेगा।
7. आवेदक द्वारा जिस भूखंड/मकान/फ्लैट पर जल संबंध लिया जा रहा है वह किसी न्यायालय या किसी भी विभाग में विवादग्रस्त नहीं है पूर्णतः मेरे अधीन है।
8. सरकार अथवा अन्य सरकारी एजेन्सी द्वारा भूमि को आवाप्त करने या भवन को हटाने पर विभाग को जल-संबंध विच्छेद करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं उस तारीख तक जो भी बकाया होगा उसका आवेदक भुगतान करने के लिये बाध्य होगा।
9. आवेदक उक्त जल संबंध का उपयोग किसी प्रकार के वैधानिक अधिकार एवं भूमि/मकान/फ्लैट स्वामित्व के लिये नहीं करेगा।
10. आवेदक को दिये जा रहे जल संबंध में पानी का दबाव कम आयेगा तो इस विषय में कोई आपत्ति तथा कोई वाद न्यायालय में दायर नहीं किया जावेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर एन.आर.ए.एन.वी.पी. को आवेदक का जल संबंध विच्छेद करने का अधिकार होगा एवं इस बाबत एन.आर.ए.एन.वी.पी. को जो भी हानि होगी उसकी क्षतिपूर्ति करने को वह बाध्य रहेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

Annexure-B

जल संबंध होने के बाद उपभोक्ता के लिए सूचना:-

1. आपका जल संबंध जारी होने से तीन माह के अन्दर यदि पानी का प्रथम बिल आपको प्राप्त न हो तो राशि की रसीद व जल संबंध प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि ले कर संबंधित उप- अभियन्ता एन.आर.ए.एन.वी.पी. से सम्पर्क करें।
2. आपके यहाँ लगे मीटर की पूर्ण सुरक्षा रखें।
3. मीटर का पठन करना आप स्वयं भी सीख लें तथा प्रत्येक माह पठन कर बिल में अंकित मीटर पठन से मिलान कर लें।
4. यदि आपका पानी का बिल निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होता है ता आप संबंधित कार्यपालन अभियन्ता कार्यालय एन.आर.ए.एन.वी.पी. सम्पर्क कर बिल की प्रति प्राप्त करें।
5. मीटर या बिल संबंधी शिकायत होने पर कार्यपालन अभियन्ता कार्यालय में सम्पर्क करे । वहा पर शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है।
6. उपखण्ड के मीटर पाठक/बिल वितरक/अन्य कर्मचारी/नलकार से शिकायत होने पर पूर्ण प्रमाण सहित क्षेत्र के उप अभियन्ता से सम्पर्क करें। उचित कार्यवाही न होने पर खंडीय कार्यालय में कार्यपालन अभियन्ता (पीएचई) से सम्पर्क करें।
7. अच्छी सेवा के लिए विभाग को आपके सहयोग की अपेक्षा है। पानी के बिल का भुगतान समय पर करें।

निर्माण हेतु जल संबंधी -

1. अथॉरिटी से बिल्डिंग परमिशन प्राप्त निर्माण कार्यों के लिए जल प्रदाय किया जावेगा, जो बिल्डिंग परमिशन की वैधता अवधि तक जारी रहेगा।
2. जल की कमी वाले माह अप्रैल से जून को छोड़कर अन्य समय में जल प्रदाय किया जा सकता है।
3. विशेष परिस्थितियों में एन.आर.ए.एन.वी.पी. कभी भी जल प्रदाय करना स्थगित कर सकता है।
4. जिस निर्माण कार्य हेतु जल प्रदाय स्वीकृत किया गया है, जल का उपयोग उसी कार्य के लिये किया जाये। यदि यह पाया गया कि जल का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिये किया जा रहा है तो यह शर्तों का उल्लंघन माना जावेगा एवं कनेक्शन तुरंत काट दिया जावेगा।
5. उपरोक्त शर्तों के अंतर्गत जल दर रुपये 27.50/- प्रति किलो लीटर पर निर्माण कार्यों हेतु जल प्रदाय किया जायेगा। परन्तु हितग्राही को प्रतिमाह न्यूनतम रुपये 1000/- मासिक जलदर अदा करना होगा।

NEW WATER / SEWAGE CONNECTION (For Organization)

Organization Details (in Case of Connection Applied by Organization)

Contact Person Name (Mr. /Mrs. /Ms.) _____

Mobile Number _____

Email ID _____

Name of Organization/Society/Trust _____

PAN No. _____

GSTIN No. _____ CIN No. _____

Registered Office Address _____

Registered Office Phone No. _____

Registered Office State. _____

Registered Office District. _____

Building Details

Property ID (if available) _____

Name of building _____

City - Nava Raipur Atal Nagar Sector _____

House/Plot Number _____ Floor _____

Pin Code _____

Correspondence address

Same as above

City _____ Sector _____

House/Plot Number _____

Floor _____ Pin Code _____

Connection Details

Application type Water and sewerage connection Water connection Sewerage connection

(a) Is Connection for Construction: Yes No

If Yes, Then Connection Duration (In Months): _____

Details of usage (Quantity of water requirement per day in liters) _____

Dia of water connection applied for – 15mm/20mm/25mm/32mm/40mm/50mm/ _____

(b) Regular water connection:-

Connection type: Domestic/Residential cum Commercial/Commercial/Industrial and Institutional (Govt./Non-Govt.)

Details of usage (Quantity of water requirement per day in liters) _____

Number of persons _____

Dia of water connection applied for – 15mm/20mm/25mm/32mm/40mm/50mm/_____

(c) Sewerage Connection

Sewerage connection diameter _____ Required Connection size (mm) _____

I have gone through the conditions for water connection as in Annexure –A ,B and agree to the same

Signature of applicant

Name:

Checklist for supporting documents

S.no.	Document type	Yes / No
1	Company/Society/Trust Registration Proof	
2	Company/Society/Trust PAN Card	
3	Company/Society/Trust GSTIN Number	
4	Receipt of Lease Rent	
5(a)	Property Ownership Proof	
5(b)	Copy of Rent Agreement – in case of tenant	
6(a)	Building completion certificate (for Regular water supply)	
6(b)	Building permission certificate (for Construction water supply)	

Internal office use

Office copy

Application Number _____ Date of receiving _____

Assigned to _____

Consumer copy

Application Number _____ Date of receiving _____

घोषणा पत्र

1. आवेदक पानी के उपयोग के लिए निर्धारित दरों के साथ जल राजस्व सीवरेज प्रभार की राशि एवं सभी प्रकार के प्रभार अधिभार का नियमों के अनुसार हर माह नियत तारीख को भुगतान करने को सहमत है ! भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटने का अधिकार एन.आर.ए.एन.वी.पी. को होगा।
2. मीटर की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता जिम्मेदार होगा। मीटर के चोरी चले जाने/खो जाने की स्थिति में स्वयं के खर्चे पर उपभोक्ता को नया मीटर लाकर एन.आर.ए.एन.वी.पी. में जमा कराना होगा। मीटर क्षतिग्रस्त होने पर आवेदक से क्षतिपूर्ति राशि वसूली जायेगी।
3. मीटर मैला/किसी प्रकार की लीकेज होने पर या मीटर में खराबी होने की स्थिति में उसकी सूचना एन.आर.ए.एन.वी.पी. को देने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
4. आवेदक द्वारा समर्पित नया मीटर भविष्य में सरकारी मीटर माना जावेगा। आवेदक को प्रतिमाह मीटर किराया देना होगा।
5. आवेदक के जल संबंध पर किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में उसके कनेक्शन को एन.आर.ए.एन.वी.पी. को बिना किसी पूर्व सूचना के काटने का अधिकार होगा।
6. जिन बस्तियों में सरकार द्वारा जल प्रदाय विकास शुल्क पूर्व में नहीं लिया गया है, वहां विभाग द्वारा जल प्रदाय विकास शुल्क मांगे जाने पर आवेदक को जमा कराना होगा, अन्यथा उसका जल संबंध विच्छेद कर दिया जायेगा।
7. आवेदक द्वारा जिस भूखंड/मकान/फ्लैट पर जल संबंध लिया जा रहा है वह किसी न्यायालय या किसी भी विभाग में विवादग्रस्त नहीं है पूर्णतः मेरे अधीन है।
8. सरकार अथवा अन्य सरकारी एजेन्सी द्वारा भूमि को आवाप्त करने या भवन को हटाने पर विभाग को जल-संबंध विच्छेद करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं उस तारीख तक जो भी बकाया होगा उसका आवेदक भुगतान करने के लिये बाध्य होगा।
9. आवेदक उक्त जल संबंध का उपयोग किसी प्रकार के वैधानिक अधिकार एवं भूमि/मकान/फ्लैट स्वामित्व के लिये नहीं करेगा।
10. आवेदक को दिये जा रहे जल संबंध में पानी का दबाव कम आयेगा तो इस विषय में कोई आपत्ति तथा कोई वाद न्यायालय में दायर नहीं किया जावेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर एन.आर.ए.एन.वी.पी. को आवेदक का जल संबंध विच्छेद करने का अधिकार होगा एवं इस बाबत एन.आर.ए.एन.वी.पी. को जो भी हानि होगी उसकी क्षतिपूर्ति करने को वह बाध्य रहेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

Annexure-B

जल संबंध होने के बाद उपभोक्ता के लिए सूचना:-

1. आपका जल संबंध जारी होने से तीन माह के अन्दर यदि पानी का प्रथम बिल आपको प्राप्त न हो तो राशि की रसीद व जल संबंध प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि ले कर संबंधित उप- अभियन्ता एन.आर.ए.एन.वी.पी. से सम्पर्क करें।
2. आपके यहाँ लगे मीटर की पूर्ण सुरक्षा रखें।
3. मीटर का पठन करना आप स्वयं भी सीख लें तथा प्रत्येक माह पठन कर बिल में अंकित मीटर पठन से मिलान कर लें।
4. यदि आपका पानी का बिल निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होता है ता आप संबंधित कार्यपालन अभियन्ता कार्यालय एन.आर.ए.एन.वी.पी. सम्पर्क कर बिल की प्रति प्राप्त करें।
5. मीटर या बिल संबंधी शिकायत होने पर कार्यपालन अभियन्ता कार्यालय में सम्पर्क करे । वहा पर शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है।
6. उपखण्ड के मीटर पाठक/बिल वितरक/अन्य कर्मचारी/नलकार से शिकायत होने पर पूर्ण प्रमाण सहित क्षेत्र के उप अभियन्ता से सम्पर्क करें। उचित कार्यवाही न होने पर खंडीय कार्यालय में कार्यपालन अभियन्ता (पीएचई) से सम्पर्क करें।
7. अच्छी सेवा के लिए विभाग को आपके सहयोग की अपेक्षा है। पानी के बिल का भुगतान समय पर करें।

निर्माण हेतु जल संबंधी -

1. अथॉरिटी से बिल्डिंग परमिशन प्राप्त निर्माण कार्यों के लिए जल प्रदाय किया जावेगा, जो बिल्डिंग परमिशन की वैधता अवधि तक जारी रहेगा।
2. जल की कमी वाले माह अप्रैल से जून को छोड़कर अन्य समय में जल प्रदाय किया जा सकता है।
3. विशेष परिस्थितियों में एन.आर.ए.एन.वी.पी. कभी भी जल प्रदाय करना स्थगित कर सकता है।
4. जिस निर्माण कार्य हेतु जल प्रदाय स्वीकृत किया गया है, जल का उपयोग उसी कार्य के लिये किया जाये। यदि यह पाया गया कि जल का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिये किया जा रहा है तो यह शर्तों का उल्लंघन माना जावेगा एवं कनेक्शन तुरंत काट दिया जावेगा।
5. उपरोक्त शर्तों के अंतर्गत जल दर रुपये 27.50/- प्रति किलो लीटर पर निर्माण कार्यों हेतु जल प्रदाय किया जायेगा। परन्तु हितग्राही को प्रतिमाह न्यूनतम रुपये 1000/- मासिक जलदर अदा करना होगा।